THE

JHARKHAND GAZETTE

EXTRAORDINARY

PUBLISHED BY AUTHORITY

No. 1115 **21 Agrhayan, 1940(S)**

Ranchi, Wednesday, 12th December, 2018

COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT

Notification

7 December, 2018

Notification No. -60/2018 – State Tax

S.O. No. 83 Dated-7 December, 2018:- In exercise of the powers conferred by section 164 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Government of Jharkhand hereby makes the following rules further to amend the Jharkhand Goods and Services Tax Rules, 2017, namely:-

1. (1) These rules may be called the Jharkhand Goods and Services Tax (Thirteenth Amendment) Rules, 2018.

(2) This notification shall be deemed to be effective from 30th October, 2018.

2. In the Jharkhand Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereinafter referred to as the said rules), after rule 83, the following rule shall be inserted, namely:-

"**83A. Examination of Goods and Services Tax Practitioners.-**(1) Every person referred to in clause (b) of sub-rule (1) of rule 83 and who is enrolled as a goods and services tax practitioner under sub-rule (2) of the said rule, shall pass an examination as per sub-rule (3) of the said rule.
(2) The National Academy of Customs, Indirect Taxes and Narcotics (hereinafter referred to as "NACIN") shall conduct the examination.

(3) **Frequency of examination.-**The examination shall be conducted twice in a year as per the schedule of the examination published by NACIN every year on

the official websites of the Board, NACIN, common portal, GST Council Secretariat and in the leading English and regional newspapers.

(4) **Registration for the examination and payment of fee.-**(i) A person who is required to pass the examination shall register online on a website specified by NACIN.
(ii) A person who registers for the examination shall pay examination fee as specified by NACIN, and the amount for the same and the manner of its payment shall be specified by NACIN on the official websites of the Board, NACIN and common portal.

(5) **Examination centers.-** The examination shall be held across India at the designated centers. The candidate shall be given an option to choose from the list of centers as provided by NACIN at the time of registration.

(6) **Period for passing the examination and number of attempts allowed**.- (i) A person enrolled as a goods and services tax practitioner in terms of sub-rule (2) of rule 83 is required to pass the examination within two years of enrolment:

Provided that if a person is enrolled as a goods and services tax practitioner before 1st of July 2018, he shall get one more year to pass the examination:

Provided further that for a goods and services tax practitioner to whom the provisions of clause (b) of sub-rule (1) of rule 83 apply, the period to pass the examination will be as specified in the second proviso of sub-rule (3) of said rule.
(ii) A person required to pass the examination may avail of any number of attempts but these attempts shall be within the period as specified in clause (i).
(iii) A person shall register and pay the requisite fee every time he intends to appear at the examination.
(iv) In case the goods and services tax practitioner having applied for appearing in the examination is prevented from availing one or more attempts due to unforeseen circumstances such as critical illness, accident or natural calamity, he may make a request in writing to the jurisdictional Commissioner for granting him one additional attempt to pass the examination, within thirty days of conduct of the said examination. NACIN may consider such requests on merits based on recommendations of the jurisdictional Commissioner.

(7) **Nature of examination.-**The examination shall be a Computer Based Test. It shall have one question paper consisting of Multiple Choice Questions. The pattern and syllabus are specified in Annexure-A.

(8) **Qualifying marks**.- A person shall be required to secure fifty per cent. of the total marks.

(9) **Guidelines for the candidates**.-(i) NACIN shall issue examination guidelines covering issues such as procedure of registration, payment of fee, nature of identity documents, provision of admit card, manner of reporting at the examination center, prohibition on possession of certain items in the examination center, procedure of making representation and the manner of its disposal.

(ii) Any person who is or has been found to be indulging in unfair means or practices shall be dealt in accordance with the provisions of sub-rule (10). An illustrative list of use of unfair means or practices by a person is as under: -

(a) obtaining support for his candidature by any means;
(b) impersonating;
(c) submitting fabricated documents;

(d) resorting to any unfair means or practices in connection with the examination or in connection with the result of the examination;
(e) found in possession of any paper, book, note or any other material, the use of which is not permitted in the examination center;
(f) communicating with others or exchanging calculators, chits, papers etc. (on which something is written);
(g) misbehaving in the examination center in any manner;
(h) tampering with the hardware and/or software deployed; and
(i) attempting to commit or, as the case may be, to abet in the commission of all or any of the acts specified in the foregoing clauses.

(10) **Disqualification of person using unfair means or practice.-** If any person is or has been found to be indulging in use of unfair means or practices, NACIN may, after considering his representation, if any, declare him disqualified for the examination.

(11) **Declaration of result.-** NACIN shall declare the results within one month of the conduct of examination on the official websites of the Board, NACIN, GST Council Secretariat, common portal and State Tax Department of the respective States or Union territories, if any. The results shall also be communicated to the applicants by e-mail and/or by post.

(12) **Handling representations.-** A person not satisfied with his result may represent in writing, clearly specifying the reasons therein to NACIN or the jurisdictional Commissioner as per the procedure established by NACIN on the official websites of the Board, NACIN and common portal.

(13) **Power to relax**.- Where the Board or State Tax Commissioner is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, on the recommendations of the Council, relax any of the provisions of this rule with respect to any class or category of persons.

***Explanation* :-** For the purposes of this sub-rule, the expressions –

(a) "jurisdictional Commissioner" means the Commissioner having jurisdiction over the place declared as address in the application for enrolment as the GST Practitioner in **FORM GST PCT-1**. It shall refer to the Commissioner of Central Tax if the enrolling authority in **FORM GST PCT-1** has been selected as Centre, or the Commissioner of State Tax if the enrolling authority in **FORM GST PCT-1** has been selected as State;
(b) NACIN means as notified by notification No. 24/2018- State Tax, dated 13.06.2018.

Annexure-A
[See sub-rule7]
Pattern and Syllabus of the Examination

PAPER: GST Law & Procedures:	
Time allowed:	2 hours and 30 minutes
Number of Multiple Choice Questions:	100
Language of Questions:	English and Hindi
Maximum marks:	200
Qualifying marks:	100
No negative marking	

Syllabus:	
1	The Central Goods and Services Tax Act, 2017
2	The Integrated Goods and Services Tax Act, 2017
3	All The State Goods and Services Tax Acts, 2017
4	The Union territory Goods and Services Tax Act, 2017
5	The Goods and Services Tax (Compensation to States) Act, 2017
6	The Central Goods and Services Tax Rules, 2017
7	The Integrated Goods and Services Tax Rules, 2017
8	All The State Goods and Services Tax Rules, 2017
9	Notifications, Circulars and orders issued from time to time under the said Acts and Rules.”.

3. In the said rules, in rule 109A,

(i) (a) in sub-rule (1), in clause (a), for the words and brackets “the Additional Commissioner State Taxes”, the following words and brackets shall be substituted, namely:-

“the Additional Commissioner State Tax or Joint Commissioner State Tax”;

(b) in sub-rule (1), in clause (b), shall be omitted;

(c) in sub-rule (1), in clause (c), for the words and brackets “the Joint Commissioner (Appeals) where such decision or order is passed by the Deputy Commissioner State Taxes, Assistant Commissioner State Taxes or State Tax officer”, the following words and brackets shall be substituted, namely:-

“any officer not below the rank of Joint Commissioner (Appeals) where such decision or order is passed by the Deputy Commissioner State Tax, Assistant Commissioner State Tax or State Tax officer”;

(ii) (a) in sub-rule (2), in clause (a), for the words and brackets “the Additional Commissioner State Taxes”, the following words and brackets shall be substituted, namely:-

“the Additional Commissioner State Tax or Joint Commissioner State Tax”;

(b) in sub-rule (2), in clause (b), shall be omitted;

(c)in sub-rule (2), in clause (c), for the words and brackets "the Joint Commissioner (Appeals) where such decision or order is passed by the Deputy Commissioner State Taxes, Assistant Commissioner State Taxes or State Tax officer", the following words and brackets shall be substituted, namely:-

"any officer not below the rank of Joint Commissioner (Appeals) where such decision or order is passed by the Deputy Commissioner State Tax, Assistant Commissioner State Tax or State Tax officer".

4. In the said rules, after rule 142, the following rule shall be inserted, namely:-

"**142A. Procedure for recovery of dues under existing laws. -** (1) A summary of order issued under any of the existing laws creating demand of tax, interest, penalty, fee or any other dues which becomes recoverable consequent to proceedings launched under the existing law before, on or after the appointed day shall, unless recovered under that law, be recovered under the Act and may be uploaded in **FORM GST DRC-07A** electronically on the common portal for recovery under the Act and the demand of the order shall be posted in Part II of Electronic Liability Register in **FORM GST PMT-01**.

(2) Where the demand of an order uploaded under sub-rule (1) is rectified or modified or quashed in any proceedings, including in appeal, review or revision, or the recovery is made under the existing laws, a summary thereof shall be uploaded on the common portal in **FORM GST DRC-08A** and Part II of Electronic Liability Register in **FORM GST PMT-01** shall be updated accordingly.".

5. In the said rules, in **FORM GST REG-16**,-

(a) against serial number 7, for the heading, the following heading shall be substituted, namely:-

"In case of transfer, merger of business and change in constitution leading to change in PAN, particulars of registration of entity in which merged, amalgamated, transferred, etc.";

(b) in the instruction, after the Table, for the paragraphs beginning with the words "In case of death of sole proprietor" and ending with the words "surrender of registration falls", the following paragraphs shall be substituted, namely:-

"In case of death of sole proprietor, application shall be made by the legal heir / successor before the concerned tax authorities. The new entity in which the applicant proposes to amalgamate itself shall register with the tax authority before submission of the application for cancellation. This application shall be made only after the new entity is registered.

Before applying for cancellation, please file your tax return due for the tax period in which the effective date of surrender of registration falls or furnish an undertaking to the effect that no taxable supplies have been made during the intervening period (i.e. from the date of registration to the date of application for cancellation of registration).".

6. In the said rules, in **FORM GSTR -4,** in the Instructions, for Sl. No. 10, the following shall be substituted, namely:-

"10. Information against the Serial 4A of Table 4 shall not be furnished.".

7. In the said rules, for **FORM GST PMT-01** relating to "Part II: Other than return related liabilities", the following form shall be substituted, namely:-

“Form GST PMT –01

[See rule 85(1)]

Electronic Liability Register of Registered Person

(Part–II: Other than return related liabilities)

(To be maintained at the Common Portal)

Reference No.- Date-

GSTIN/Temporary Id – Name (Legal) –

Trade name, if any -

Stay status – Stayed/Un-stayed Period - From --To --- (dd/mm/yyyy)

Act - Central Tax/State Tax/UT Tax/Integrated Tax/CESS /All

(Amount in Rs.)

Sr. No.	Date (dd/ mm/ yyyy)	Reference No.	Tax Period, if applicable		Ledger used for discharging liability	Description	Type of Transaction *	Amount debited/credited (Central Tax/State Tax/UT Tax/Integrated Tax/CESS/amount under existing law/Total)					
			From	To				Tax	Interest	Penalty	Fee	Others	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Balance (Payable) (Central Tax/State Tax/UT Tax/Integrated Tax/ CESS/ amount under existing law/Total)						
Tax	Interest	Penalty	Fee	Others	Total	Status (Stayed / Un-stayed)
15	16	17	18	19	20	21

*[Debit (DR) (Payable)] / [Credit (CR) (Paid)] / Reduction (RD)/ Refund adjusted (RF)]

Note –

1. All liabilities accruing, other than return related liabilities, will be recorded in this ledger. Complete description of the transaction shall be recorded accordingly.
2. All payments made out of cash or credit ledger against the liabilities would be recorded accordingly.
3. Reduction or enhancement in the amount payable due to decision of appeal, rectification, revision, review etc. will be reflected here.
4. Negative balance can occur for a single Demand ID also if appeal is allowed/ partly allowed. Overall closing balance may still be positive.
5. Refund of pre-deposit can be claimed for a particular demand ID if appeal is allowed even though the overall balance may still be positive subject to the adjustment of the refund against any liability by the proper officer.
6. The closing balance in this part shall not have any effect on filing of return.

7. Reduction in amount of penalty would be automatic if payment is made within the time specified in the Act or the rules.
8. Payment made against the show cause notice or any other payment made voluntarily shall be shown in the register at the time of making payment through credit or cash. Debit and credit entry will be created simultaneously.".

8. In the said rules, in **FORM GST APL-04**, after serial number 9, and the Table relating thereto, the following shall be inserted, namely:-

"10. Details of IGST Demand

Place of Supply (Name of State/UT)	Demand	Tax	Interest	Penalty	Other	Total
1	2	3	4	5	6	7".
	Disputed Amount					
	Determined Amount					

9. In the said rules, after **FORM GST DRC-07**, the following form shall be inserted, namely:-

"FORM GST DRC-07A

[See rule 142A(1)]

Summary of the order creating demand under existing laws

Reference No. Date -

Part A – Basic details		
Sr. No.	**Description**	**Particulars**
(1)	**(2)**	**(3)**
1.	GSTIN	
2.	Legal name	<<Auto>>
3.	Trade name, if any	<<Auto>>
4.	Government Authority who passed the order creating the demand	☐ State /UT ☐ Centre
5.	Old Registration No.	
6.	Jurisdiction under earlier law	
7.	Act under which demand has been created	
8.	Period for which demand has been created	From – mm, yy To mm, yy
9.	Order No. (original)	
10.	Order date (original)	
11.	Latest order no.	
12.	Latest order date	
13.	Date of service of the order (optional)	
14.	Name of the officer who has passed the order (Optional)	
15.	Designation of the officer who has passed the order	
16.	Whether demand is stayed	☐ Yes/No ☐
17.	Date of stay order	
18	Period of stay	From – to -

Part B – Demand details						
19.	Details of demand created (Amount in Rs. in all Tables)					
Act	Tax	Interest	Penalty	Fee	Others	Total
1	2	3	4	5	6	7
Central Acts						
State/ UT Acts						
CST Act						

20.	Amount of demand paid under existing laws					
Act	Tax	Interest	Penalty	Fee	Others	Total
1	2	3	4	5	6	7
Central Acts						
State / UT Acts						
CST Act						

21. (19-20)	Balance amount of demand proposed to be recovered under GST laws << Auto-populated >>					
Act	Tax	Interest	Penalty	Fee	Others	Total
1	2	3	4	5	6	7
Central Acts						
State / UT Acts						
CST Act						

Signature
Name
Designation
Jurisdiction

To
_____________ (GSTIN/ID)
--------------------------Name
_____________ (Address)
Copy to -

Note –

1. In case of demands relating to short payment of tax declared in return, acknowledgement / reference number of the return may be mentioned.

2. Only recoverable demands shall be posted for recovery under GST laws. Once, a demand has been created through **FORM GST DRC-07A**, and the status of the demand changes subsequently, the status may be amended through **FORM GST DRC-08A**.

3. Demand paid up to the date of uploading the summary of the order should only be mentioned in Table 20. Different heads of the liabilities under existing laws should be synchronized with the heads defined under Central or State tax.

4. Latest order number means the last order passed by the relevant authority for the particular demand.

5. Copy of the order vide which demand has been created can be attached. Documents in support of tax payment can also be uploaded, if available.".

10. In the said rules, after **FORM GST DRC-08**, the following form shall be inserted, namely:-

"FORM GST DRC-08A

[See rule 142A(2)]

Amendment/Modification of summary of the order creating demand under existing laws

Reference no. Date -

Part A – Basic details		
Sr. No.	**Description**	**Particulars**
(1)	**(2)**	**(3)**
1.	GSTIN	
2.	Legal name	<<Auto>>
3.	Trade name, if any	<<Auto>>
4.	Reference no. vide which demand uploaded in FORM GST DRC-07A	
5.	Date of FORM GST DRC-07A vide which demand uploaded	
6.	Government Authority who passed the order creating the demand	☐ State /UT ☐ Centre <<Auto>>
7.	Old Registration No.	<< Auto, editable>>
8.	Jurisdiction under earlier law	<<Auto, editable>>
9.	Act under which demand has been created	<<Auto, editable>>
10.	Tax period for which demand has been created	<<Auto, editable>>
11.	Order No. (original)	<<Auto, editable>>
12.	Order date (original)	<<Auto, editable>>
13.	Latest order no.	<<Auto, editable>>
14.	Latest order date	<<Auto, editable>>
15.	Date of service of the order	<<Auto, editable>>
16.	Name of the officer who has passed the order (optional)	<<Auto, editable>>
17.	Designation of the officer who has passed the order	<<Auto, editable>>
18.	Whether demand is stayed	☐ Yes No ☐
19.	Date of stay order	
20.	Period of Stay	
21.	Reason for updation	<<Text box>>

Part B – Demand details						
22.	Details of demand posted originally through Table 21 of **FORM GST DRC-07A** (Amount in Rs. in all tables) *<<Auto>>*					
Act	Tax	Interest	Penalty	Fee	Others	Total
1	2	3	4	5	6	7
Central Acts						
State / UT Acts						
CST Act						

23.	Updation of demand						
Act	Type of updation	Tax	Interest	Penalty	Fee	Others	Total
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Quashing of demand (Complete closure of demand)						
2.	Amount of reduction, if any						
3.	Total reduction (1+2)						

24. (22-23)	Balance amount of demand required to be recovered under the Act << Auto-populated >>					
Act	Tax	Interest	Penalty	Fee	Others	Total
1	2	3	4	5	6	7
Central Acts						
State / UT Acts						
CST Act						

Signature
Name
Designation
Jurisdiction

To
_____________ (GSTIN/ID)
--------------------------Name
_____________ (Address)

Copy to –

Note –

1. Reduction includes payment made under existing laws. If the demand of tax is to be increased then a fresh demand may be created under **FORM GST DRC-07A**.
2. Copy of the order vide which demand has been modified /rectified / revised/ updated can be uploaded. Payment document can also be attached.
3. Amount recovered under the Act including adjustment made of refund claim will be automatically updated in the liability register. This form shall not be filed for such recoveries.".

[File.NoVaKar / GST / 04/ 2018]
By the order of the Governor of Jharkhand,

Prashant Kumar,
Secretary-cum-Commissioner.

Note:-The principal rules were published in the Gazette of Jharkhand, Extraordinary, vide S. O. No-28, dated the 20th June, 2017 and last amended vide notification No. 54/2018-State Tax, dated the 2nd November, 2018, published vide S. O. No. 79, dated the 2nd November, 2018.

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

7 दिसम्बर, 2018

अधिसूचना सं० 60/2018- राज्य कर

एस. ओ. सं-83 दिनांक 7 दिसम्बर, 2018-- झारखण्ड सरकार, झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (12 का 2017) की धारा यों का प्रयोग करते हुए शक्तिरा प्रदत्तद्वा 164, झारखण्ड माल और सेवा कर नियमवाली,लिखित नियम का और संशोधन करने के लिए निम्न 2017 बनाती है, अर्थात्-:

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम झारखण्ड माल और सेवा कर (तेरहवां संशोधन) नियमावली, 2018 है ।

(2) यह नियमवाली 30 अक्टूबर, 2018 से प्रवृत्त मानी जाएगी।

2. झारखण्ड माल और सेवा कर नियमावली, 2017 में (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमवाली कहा गया है), नियम 83 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"**83 क. माल और सेवा कर व्यवसायियों (पेशवरों) की परीक्षा-**(1) प्रत्येक व्यक्ति, जिनका संदर्भ नियम 83 के उपनियम (1) के खंड (ख) में हैं और जो उक्त नियम के उपनियम (2) के अधीन माल और सेवाकर व्यवसायी (**पेशेवर**) के रुप में नामांकित किया गया हैं, उक्त नियम के उपनियम (3) के अनुसार परीक्षा उत्तीर्ण करेगा ।

(2) राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर और नार्कोटिक्स अकादमी (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् "अकादमी" कहा गया है) परीक्षा का संचालन करेगी ।

(3) परीक्षा की बारंबारता- परीक्षा, बोर्ड, अकादमी, सामान्य पोर्टल की शासकीय वेबसाइट पर तथा प्रमुख अंग्रेजी और स्थानीय समाचार पत्रों में अकादमी द्वारा प्रकाशित अनुसूची के अनुसार वर्ष में दो बार संचालित की जाएगी ।

(4) परीक्षा के लिए रजिस्ट्रीकरण और फीस का संदाय -(i) कोई व्यक्ति, जिससे परीक्षा उत्तीर्ण करना अपेक्षित है, अकादमी द्वारा विनिर्दिष्ट वेबसाइट पर आनलाइन रजिस्टर करेगा ।

(ii) कोई व्यक्ति जो परीक्षा के लिए रजिस्टर करता है, अकादमी द्वारा यथा विनिर्दिष्ट परीक्षा फीस का संदाय करेगा और इसकी रकम तथा इसके संदाय की

रीति बोर्ड, अकादमी तथा सामान्य पोर्टल की शासकीय वेबसाइट परसीमा अकादमी द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएगी ।

(5) परीक्षा केन्द्र- परीक्षा संपूर्ण भारत में अभिहित केन्द्रों पर आयोजित की जाएगी । अभ्यर्थियों को रजिस्ट्रीकरण के समय अकादमी द्वारा यथा प्रदत्त केन्द्रों की सूची से चयन का विकल्प दिया जाएगा ।

(6) परीक्षा उत्तीर्ण करने की अवधि और अनुज्ञात प्रयासों की संख्या-(i) नियम 83 के उपनियम (2) के निबंधनानुसार माल और सेवाकर व्यवसायी (**पेशेवर**) के रुप में नामांकित किसी व्यक्ति से नामांकन के दो वर्ष के भीतर परीक्षा उत्तीर्ण करना अपेक्षित होगा :

परंतु यदि किसी व्यक्ति को 1 जुलाई, 2018 के पूर्व माल और सेवा कर व्यवसायी (**पेशेवर**) के रुप में नामांकित किया जाता है तो उसे परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए एक वर्ष और दिया जाएगा :

परंतु यह और कि किसी माल और सेवाकर व्यवसायी के लिए, जिसको नियम 83 के उपनियम (1) के खंड (ख) के उपबंध लागू होते हैं, परीक्षा उत्तीर्ण करने की अवधि उक्त नियम के उपनियम (3) के दूसरे परंतुक में यथा विनिर्दिष्ट होगी ।

(ii) परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा करने वाला व्यक्ति कितनी बार भी प्रयास कर सकेगा किंतु यह प्रयास खंड(i) में यथा विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर होंगे ।

(iii) परीक्षा में सम्मिलित होने का आशय रखने वाले व्यक्ति को प्रत्येक बार रजिस्टर करना तथा अपेक्षित फीस का संदाय करना होगा ।

(iv) यदि माल और सेवाकर व्यवसायी (**पेशेवर**) अप्रत्याशित परिस्थितियों जैसे कि गंभीर रोग, दुर्घटना या प्राकृतिक आपदा के कारण एक या अधिक प्रयासों का लाभ उठाने से निवारित हो जाता है, तो वह उसे उक्त परीक्षा के आयोजन से पंद्रह दिन के भीतर परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए एक और प्रयत्न करने की अनुमति प्रदान करने के लिए अधिकारिता आयुक्त को लिखित में अनुरोध कर सकेगा । अकादमी, अधिकारिता आयुक्त की सिफारिशों पर गुणागुण के आधार पर ऐसे अनुरोधों पर विचार कर सकेगा ।

(7) परीक्षा की प्रकृति- परीक्षा कम्प्यूटर आधारित परीक्षण होगी । इसमें बहुविकल्पी प्रश्नों से मिलकर बना एक प्रश्न पत्र होगा । प्रतिमान और पाठ्यक्रम अनुलग्नक-क में विनिर्दिष्ट किए गए हैं ।

(8) अर्हता अंक- किसी व्यक्ति से कुल अंकों का पचास प्रतिशत प्राप्त करना अपेक्षित होगा ।

(9) अभ्यर्थियों के लिए मार्ग निर्देश- (i) अकादमी परीक्षा मार्ग निर्देश जारी करेगी जिसमें रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया, फीस का संदाय, पहचान दस्तावेजों की प्रकृति, प्रवेश पत्र का उपबंध, परीक्षा केन्द्र पर रिपोर्ट करने की रीति, परीक्षा केन्द्र पर कतिपय वस्तुओं को रखने का प्रतिषेध, अभ्यावेदन करने की प्रक्रिया और इसके निपटान की रीति जैसे मुद्दे सम्मिलित होंगे ।

(ii) ऐसा व्यक्ति, जो अनुचित साधनों या प्रथाओं के प्रयोग करने में लिप्त है या पाया गया है, को उप-नियम (10) के उपबंधों के अनुसार निपटाया जाएगा । किसी व्यक्ति द्वारा किए गए अनुचित साधनों या प्रथाओं के प्रयोग का दृष्टांत निम्न प्रकार है:-

(क) किसी भी साधन द्वारा अपनी अभ्यर्थिता के लिए सहयोग प्राप्त करना;

(ख) प्रतिरूपण करना;

(ग) जाली दस्तावेज प्रस्तुत करना;

(घ) परीक्षा के संबंध में या परीक्षा के परिणाम के संबंध में किसी अनुचित साधनों या प्रथाओं का सहारा लेना;

(ङ) किसी कागज, पुस्तक, नोट या किसी अन्य सामग्री का कब्जे में पाया जाना जिसके परीक्षा केन्द्र में प्रयोग करने की अनुज्ञा न हो;

(च) दूसरों के साथ संवाद करना या केलकुलेटरों, पर्चों, कागजों आदि (जिस पर कुछ लिखा हो) आदि का आदान प्रदान करना;

(छ) परीक्षा केन्द्र में किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार करना;

(ज) परिनियोजित हार्डवेयर और/या सॉफ्टवेयर के साथ गडबड करना; और

(झ) पूर्वगामी खंडों में विनिर्दिष्ट सभी कृत्यों या उनमें से कोई कृत्य, यथास्थिति, करने काप्रयास या दुष्प्रेरण करना ।

(10) अनुचित साधनों या प्रथाओं का प्रयोग करने वाले व्यक्ति का निरर्हित होना- यदि कोई व्यक्ति अनुचित साधनों या प्रथाओं के प्रयोग में लिप्त है या पाया गया है, अकादमी उसके अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात्, यदि कोई है, परीक्षा के लिए उसे निरर्हित घोषित कर सकेगी ।

(11) NACIN (नासीन) अकादमी परीक्षा के संचालन के एक माह के भीतर बोर्ड, जी० एस० टी० काउंसिल सचिवालय, सामान्य पोर्टल, संबंधित राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश के वेबसाइट पर परिणाम की घोषणा करेगी । साथ ही अभ्यर्थियों के e-mail/postal address पर भी परिणाम की सूचना दी जाएगी ।

(12) अभ्यावेदनों पर कार्रवाई- ऐसा व्यक्ति जो अपने परिणाम से संतुष्ट नहीं है, अकादमी या अधिकारिता रखने वाले आयुक्त को बोर्ड, अकादमी, सामान्य पोर्टल की

प्राधिकृत वेबसाइटों पर अकादमी द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार लिखित रूप में कारणों को स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट करते हुए अभ्यावेदित कर सकेगा ।

(13) शिथिल करने की शक्ति- जहां बोर्ड या राज्य कर आयुक्त की यह राय हैं कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके परिषद् की सिफारिशों पर, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, शिथिल कर सकेगा।

व्याख्या :- इस उप-नियम के प्रयोजनों के लिए, पद-

(क) "अधिकारिता रखने वाला आयुक्त" से ऐसा आयुक्त अभिप्रेत है जो जीएसटीपीसीटी-1 प्ररूप में जीएसटी व्यवसायी (पेशेवर) के रूप में नामांकन के लिए आवेदन में पते के रूप में घोषित किए गए स्थान पर अधिकारिता रखता है । आयुक्त केन्द्रीय कर आयुक्त को यदि नामांकन करने वाले प्राधिकारी को पीसीटी-1 प्ररूप में केन्द्र के रूप में चयन किया गया है, या राज्य कर आयुक्त को यदि पीसीटी-1 प्ररूप में नामांकन करने वाले प्राधिकारी का राज्य के रूप में चयन किया गया है ।

(ख) अकादमी से अधिसूचना संख्यांक 24/2018- केन्द्रीय कर, तारीख 28 मई, 2018 द्वारा यथा अधिसूचित अकादमी अभिप्रेत है ।

अनुलग्नक -क
[उप-नियम 7 देखिए]
परीक्षा का पैटर्न और पाठ्यक्रम

प्रश्न पत्र: जीएसटी विधि और प्रक्रिया	
समय:	2 घंटे और 30 मिनट
एकाधिक विकल्प प्रश्नों की संख्या:	100
प्रश्नों की भाषा:	अंग्रेजी और हिंदी
अधिकतम अंक:	200
अर्हता अंक:	100
कोई नकारात्मक अंक नहीं ।	

पाठ्यक्रम:	
1	केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017
2	एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017
3	सभी राज्य माल और सेवा कर अधिनियम, 2017
4	संघ राज्यक्षेत्र और सेवा कर अधिनियम, 2017
5	माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम, 2017
6	केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017
7	एकीकृत माल और सेवा कर नियम, 2017
8	सभी राज्य माल और सेवा कर नियमावली, 2017
9	उक्त अधिनियमों और नियमों के अधीन समय समय पर जारी अधिसूचनाएं, परिपत्र और आदेश ।”

3. उक्त नियमावली में, नियम 109क में,

(i) (क) उप-नियम 1 में खंड (क) में, "अपर आयुक्त राज्य कर" शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द और कोष्ठक रखें जाएंगे, अर्थात्:-

"अपर आयुक्त राज्य कर या संयुक्त आयुक्त राज्य कर";

(ख) उप-नियम 1 में, खंड (ख) का लोप किया जाएगा।

(ग) उप-नियम 1 में खंड (ग) में, "संयुक्त आयुक्त (अपील) रैंक के अधिकारी को अपील कर सकेगा, जहाँ ऐसा विश्चिय या आदेश उपायुक्त राज्य कर या सहायक

आयुक्त राज्य कर या राज्य कर पदाधिकारी द्वारा पारित किया गया हो", शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द और कोष्ठक रखें जाएंगे, अर्थात्:-

"संयुक्त आयुक्त (अपील) रैंक से अनिम्न कोई अधिकारी को अपील कर सकेगा, जहाँ ऐसा विश्चिय या आदेश उपायुक्त राज्य कर या सहायक आयुक्त राज्य कर या राज्य कर पदाधिकारी द्वारा पारित किया गया हो";

(ii) (क) उप-नियम 2 में खंड (क) में, "अपर आयुक्त राज्य कर" शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द और कोष्ठक रखें जाएंगे, अर्थात्:-

"अपर आयुक्त राज्य कर या संयुक्त आयुक्त राज्य कर";

(ख) उप-नियम 2 में, खंड (ख) का लोप किया जाएगा।

(ग) उप-नियम 2 में खंड (ग) में, "संयुक्त आयुक्त (अपील) रैंक के अधिकारी को अपील कर सकेगा, जहाँ ऐसा विश्चिय या आदेश उपायुक्त राज्य कर या सहायक आयुक्त राज्य कर या राज्य कर पदाधिकारी द्वारा पारित किया गया हो", शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द और कोष्ठक रखें जाएंगे, अर्थात्:-

"संयुक्त आयुक्त (अपील) रैंक से अनिम्न कोई अधिकारी को अपील कर सकेगा, जहाँ ऐसा विश्चिय या आदेश उपायुक्त राज्य कर या सहायक आयुक्त राज्य कर या राज्य कर पदाधिकारी द्वारा पारित किया गया हो"।

4. उक्त नियमावली में, नियम 142 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"**142क. विधमान विधियों के अधीन शोध्य के वसूली की प्रक्रिया.-**(1) किन्हीं विद्यमान विधियों के अधीन जारी आदेश का सार जो कर की मांग, ब्याज, शास्ति, फीस या कोई अन्य शोध्य सृजित करे जो नियत दिन के पूर्व या पश्चात् विद्यमान विधि के अधीन आरंभ की गई कार्यवाहियों के परिणामस्वरूप वसूलनीय हो जाती है जब तक कि उस विधि के अधीन नहीं वसूली गई हो, अधिनियम के अधीन वसूल की जाएगी और अधिनियम के अधीन वसूली के लिए इलेक्ट्रानिक रूप से **प्ररूप जीएसटी डीआरसी-07क** में, सामान्य पोर्टल पर अपलोड किया जा सकेगा और आदेश की मांग को इलेक्ट्रानिक दायित्व रजिस्टर के भाग 2 में अंकित किया जाएगा ।
(2) जहां उप-नियम (1) के अधीन अपलोड किए गए किसी आदेश की मांग को अपील, पुनविलोकन या पुनरीक्षण सहित किन्हीं कार्यवाहियों में परिशोधित, उपांतरित

या अभिखंडित किया जाता है तो उसका सार, **प्ररूप जीएसटी डीआरसी-8क** में सामान्य पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा और इलेक्ट्रानिक दायित्व रजिस्टर के भाग 2 को तदनुसार अद्यतन किया जाएगा ।

5. उक्त नियमावली में **प्ररूप जीएसटी आरईजी-16** में,-

(क) क्रम संख्यांक 7 के सामने, शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक रखा जाएगा, अर्थात्:-

"कारबार के अंतरण, विलयन और गठन में परिवर्तन की दशा में जिसके कारण उस इकाई के रजिस्ट्रीकरण के पैन विशिष्टियों में परिवर्तन हुआ है, जिसमें विलयन, समामेलन, अंतरण आदि किया गया है।";

(ख) अनुदेश में सारणी के पश्चात् "स्वत्वधारी की मृत्यु की दशा में" शब्दों से शुरू होने वाले और "अभ्यर्पण करने की प्रभावी तारीख आती है" शब्दों से समाप्त होने वाले पैराग्राफ के स्थान पर निम्नलिखित पैराग्राफ रखा जाएगा, अर्थात्:-

"एकमात्र स्वत्वधारी की मृत्यु की दशा में आवेदन संबंधित कर प्राधिकारियों के समक्ष उसके विधिक उत्तराधिकारी/उत्तरवर्ती द्वारा किया जाएगा । नई इकाई, जिसमें आवेदक स्वयं का समामेलन करने का प्रस्ताव करता है, को कर प्राधिकारी के पास उसके रद्द करने के लिए आवेदन करने से पूर्व रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा। यह आवेदन केवल नई इकाई को रजिस्ट्रीकृत करने के पश्चात् ही किया जाएगा ।

रद्द करने के लिए आवेदन करने से पूर्व उस कर अवधि के लिए कृपया अपनी सम्यक् कर विवरणी फाइल करें जिसमें रजिस्ट्रीकरण का अभ्यर्पण करने की प्रभावी तारीख आती है या इस प्रभाव का उपक्रम प्रस्तुत करें कि मध्यवर्ती अवधि के दौरान (यथा, रजिस्ट्रीकरण की तारीख से रजिस्ट्रीकरण रद्द करने के लिए आवेदन की तारीख तक) कोई कर योग्य प्रदाय नहीं किया गया है ।"।

6. उक्त नियमावली में, प्ररूप जीएसटीआर-4 में, अनुदेशों में, क्रम सं० 10 पर दिए गए अनुदेश के स्थान पर, निम्नलिखित अनुदेश रखा जाएगा, अर्थात्:--

“10. सारणी 4 क्रम 4क के सामने जानकारी नहीं दिया जाएगा ।”।

7. उक्त नियमावली में, "भाग 2: दायित्वों से संबंधित विवरणी अन्य से भिन्न" से संबंधित **प्ररूप जीएसटी पीएमटी-01** के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात्:-

"प्ररूप जीएसटी पीएमटी-01
(नियम 85(1) देखिए)
रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का इलेक्ट्रानिक दायित्व रजिस्टर
(भाग 2: विवरणी से संबंधित दायित्वों से भिन्न)
(सामान्य पोर्टल पर रखा जाए)

संदर्भ सं० तारीख

जीएसटीआईएन/अस्थायी आईडीनाम (विधिक)

व्यापार नाम, यदि कोई हो

अवधि............. से ....तक

स्थगन प्रास्थिति- स्थगित/अस्थगित

अधिनियम—केन्द्रीय कर /राज्य कर/संघ राज्यक्षेत्र कर /एकीकृत कर/उपकर/समस्त

(रुपए में रकम)

क्रम सं०	तारीख	संदर्भ सं०	कर अवधि, यदि लागू हो		दायित्व उन्मोचन के लिए प्रयुक्त खाता	विवरण	संव्यवहार के प्रकार*	विकलित/जमा की गई रकम (केन्द्रीय कर/राज्य कर/संघ राज्यक्षेत्र कर/एकीकृत कर/उपकर/मौजूदा कानून के तहत राशि/कुल)					
			से	तक									
								कर	ब्याज	शास्ति	फीस	अन्य	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

अतिशेष (देय) (केन्द्रीय कर /राज्य कर/संघ राज्यक्षेत्र कर /एकीकृत कर/उपकर/मौजूदा कानून के तहत राशि/कुल)						
कर	ब्याज	शास्ति	फीस	अन्य	कुल	प्रास्थिति (स्थगित/अस्थगित)
15	16	17	18	19	20	21

*[विकलन (डीआर) (देय)]/[जमा (सीआर) (संदत्त)]/कमी (आरडी)/समायोजित प्रतिदाय (आरएफ)]

टिप्पण---

1. विवरण से संबंधित दायित्वों से भिन्न, प्रोद्भूत सभी दायित्वों को इस खाते में अभिलिखित किया जाएगा । संव्यवहार का पूरा वर्णन तदनुसार अभिलिखित किया जाएगा ।
2. दायित्वों के लिए नकद या प्रत्यय खाते में किए गए सभी संदाय तदनुसार अभिलिखित किये जाएंगे ।
3. अपील का निर्णय, परिशोधन, पुनरीक्षण, पुनर्विलोकन आदि के कारण संदेय रकम में कमी या वृद्धि को तदनुसार प्रतिबिंबित किया जाएगा ।
4. एकल मांग आईडी के लिए भी नकारात्मक अतिशेष आ सकते हैं यदि अपील अनुज्ञात/भागतः अनुज्ञात की जाती है। समस्त अंतिम अतिशेष तब भी सकारात्मक हो सकेगा ।
5. विशिष्ट मांग आईडी के लिए पूर्व निक्षेप के प्रतिदाय का दावा किया जा सकता है ,यदि अपील अनुज्ञात की जाती है, यद्यपि फिर भी, समुचित अधिकारी द्वारा किसी दायित्व के प्रतिदाय के लिए समायोजन के अधीन रहते हुए समस्त अंतिम अतिशेष तब भी सकारात्मक हो सकेगा ।
6. इस भाग में अंतिम अतिशेष का, विवरणी को फाइल करने पर कोई प्रभाव नहीं होगा।
7. अधिनियम या नियमों में विनिर्दिष्ट समय के भीतर संदाय करने पर शास्ति की रकम में कमी स्वतः होगी ।
8. प्रत्यय या नकद खाते के माध्यम से, कारण बताओं सूचना के लिए या स्वैच्छिक रूप से किए गए किसी अन्य संदाय को, संदाय करते समय रजिस्टर में दर्शित किया जाएगा । विकलन और प्रत्यय की प्रविष्टि को एकसाथ सृजित किया जाएगा ।

8. उक्त नियमावली में**, प्ररूप जीएसटी एपीएल-04,** में क्रमांक संख्यांक 9 और उससे संबन्धित सारणी के पश्चा**त्** निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा**,** अर्थात:--

“10. आई जी एस टी मांग के ब्यौरे

प्रदाय का स्थान (राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम)	मांग	कर	ब्याज	शास्ति	अन्य	कुल
1	2	3	4	5	6	7”।
	विवादित रकम					
	निर्धारित रकम					

9. उक्त नियमावली में **प्ररूप जीएसटी डीआरसी- 07** के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किया जाएगा ,अर्थात्:-

"प्ररूप जीएसटी डीआरसी -07क
[नियम 142क(1) देखें]
विद्‌यमान विधियों के अधीन आदेश का सारांश

निर्देश सं. तारीख-

भाग1 - बुनियादी विवरण		
क्र. सं.	**वर्णन**	**विशिष्टियां**
(1)	**(2)**	**(3)**
1.	जीएसटीआईएन	
2.	विधि का नाम	<<स्वतः>>
3.	व्यापार नाम, यदि कोई हो	<<स्वतः>>
4.	शासकीय प्राधिकरण, जिसने मांग करने के लिए आदेश पारित किया है	☐ राज्य/संघ राज्यक्षेत्र ☐ केंद्र
5.	पुराना रजिस्ट्रेशन सं.	
6.	पूर्व विधि के अधीन अधिकारिता	
7.	अधिनियम, जिसके अधीन मांग सृजित की गई है	
8.	वह अवधि, जिसमें मांग सृजित की गई है	मास, वर्ष से मास, वर्ष तक
9.	आदेश सं. (मूल)	
10.	आदेश तारीख (मूल)	
11.	नवीनतम आदेश सं.	
12.	नवीनतम आदेश तारीख	
13.	आदेश की सेवा की तारीख (मूल)	

14.	अधिकारी का नाम, जिसने आदेश पारित किया है (मूल)	
15.	आदेश पारित करने वाले अधिकारी का पदनाम	
16.	क्या मांग पर रोक लगाया गया है	☐ ☐ हाँ/नहीं
17.	रोक आदेश की तारीख	
18	रोक की अवधि	से - तक

भाग ख - मांग का विवरण						
19.	सृजित की गई मांग के ब्यौरे (सभी सारणी में रकम लाख में)					
अधिनियम	कर	ब्याज	जुर्माना	शुल्क	अन्य	कुल
1	2	3	4	5	6	7
केंद्रीय अधिनियम						
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अधिनियम						
केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम						

20.	विद्यमान विधि के अधीन संदाय की गई मांग की रकम					
अधिनियम	कर	ब्याज	जुर्माना	शुल्क	अन्य	कुल
1	2	3	4	5	6	7
केंद्रीय अधिनियम						
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अधिनियम						
केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम						

21. (19-20)	प्रस्तावित की गई मांग की अतिशेष रकम जीएसटी विधि के अधीन वसूल की जाएगी <<ऑटो-पॉपुलेटेड>>					
अधिनियम	कर	ब्याज	जुर्माना	शुल्क	अन्य	कुल
1	2	3	4	5	6	7
केंद्रीय अधिनियम						
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अधिनियम						
केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम						

हस्ताक्षर
नाम
पदनाम
अधिकार क्षेत्र

सेवा में,
___________________(जीएसटीआईएन/आईडी)
--------------------------नाम
___________________(पता)
निम्नलिखित प्रति -

टिप्पण -

1. विवरणी, में घोषित की गई कर के संक्षिप्त संदाय सम्बन्धी मांग के मामले में अभिविनिश्चय/विवरण का निर्देश सं. उल्लेख किया जाएगा ।
2. केवल वसूल की गई मांग को जीएसटी विधि के अधीन वसूली के लिए पोस्ट किया जाएगा। एक बार **डीआरसी-07क** के माध्यम से मांग सृजित की जाती है और तत्पश्चात् मांग की प्रास्थिति में परिवर्तन किया जाता है, प्रास्थिति में **डीआरसी-08क** के माध्यम से संशोधन किया जाएगा ।
3. आदेश के सारांश को अपलोड करने की तारीख तक संदेय की गई मांग का केवल सारणी 20 में उल्लेख किया जाएगा । विद्यमान विधियों के अधीन दायित्व के विभिन्न शीर्षों को केन्द्रीय अथवा राज्य कर के अधीन परिभाषित की गई शीर्ष के साथ-साथ रखा जाना चाहिए ।
4. नवीनतम आदेश सं. से विशिष्ट मांग के लिए सुसंगत प्राधिकारी द्वारा पारित पिछला आदेश अभिप्रेत है ।
5. आदेश की प्रति, जिसमें मांग सृजित की गई है, संलग्न की जा सकती है । संदेय कर के समर्थन में दस्तावेज को भी अपलोड किया जा सकता है. यदि उपलब्ध हो ।"।

10. उक्त नियमावली में प्ररूप **जीएसटी डीआरसी0-8** के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किया जाएगा , अर्थात्:-

"प्ररूप जीएसटी डीआरसी -08क
[नियम 142क(2) देखें]
विद्यमान विधियों के अधीन सृजित किए गए सारांश का संशोधन/उपांतरण

निर्देश सं. तारीख-

भाग क - बुनियादी ब्यौरे		
क्र. सं.	वर्णन	विशिष्टियां
(1)	(2)	(3)
1.	जीएसटीआईएन	
2.	विधि का नाम	<<स्वतः>>
3.	व्यापार नाम, यदि कोई हो	<<स्वतः>>
4.	निर्देश संख्या, जिसके द्वारा मांग को प्ररूप जीएसटी डीआरसी-07क में अपलोड किया गया	
5.	प्ररूप जीएसटी डीआरसी-07क की तारीख, जिसके द्वारा मांग को अपलोड किया गया	
6.	शासकीय प्राधिकरण, जिसने मांग करने के लिए आदेश पारित किया है	☐ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र ☐ केन्द्र <<स्वतः>>
7.	पुराना रजिस्ट्रेशन सं.	<<स्वतः, संपादन योग्य>>
8.	पूर्व विधि के अधीन अधिकारिता	<<स्वतः, संपादन योग्य>>
9.	अधिनियम, जिसके अधीन मांग सृजित की गई है	<<स्वतः, संपादन योग्य>>
10.	वह अवधि, जिसमें मांग सृजित की गई है	<<स्वतः, संपादन योग्य>>
11.	आदेश सं. (मूल)	<<स्वतः, संपादन योग्य>>
12.	आदेश तारीख (मूल)	<<स्वतः, संपादन योग्य>>
13.	नवीनतम आदेश सं.	<<स्वतः, संपादन योग्य>>
14.	नवीनतम आदेश तारीख	<<स्वतः, संपादन योग्य>>
15.	आदेश की सेवा की तारीख (मूल)	<<स्वतः, संपादन योग्य>>
16.	अधिकारी का नाम, जिसने आदेश पारित किया है (मूल)	<<स्वतः, संपादन योग्य>>
17.	आदेश पारित करने वाले अधिकारी का पदाभिमान	<<स्वतः, संपादन योग्य>>
18.	क्या मांग पर रोक लगाया गया है	☐ ☐ हाँ/नहीं
19.	रोक आदेश की तारीख	
20.	रोक की अवधि	
21.	अद्यतन के लिए कारण	<<पाठ पेटी>>

भाग ख - मांग के ब्यौरे						
22.	जीएसटी डीआरसी-07क की सारणी 21 के माध्यम से मूल रूप में पोस्ट की गई मांग के ब्यौरे (सभी सारणी में रकम लाख में) <<स्वतः>>					
अधिनियम	कर	ब्याज	जुर्माना	शुल्क	अन्य	अन्य
1	2	3	4	5	6	7
केन्द्रीय अधिनियम						
राज्य/संघ राज्यक्षेत्र अधिनियम						
केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम						

23.	मांग का अद्यतन						
अधिनियम	अद्यतन का प्रकार	कर	ब्याज	जुर्माना	शुल्क	अन्य	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	मांग का रद्द किया जाना (मांग की पूर्ण रूप से समापन)						
2.	छूट की रकम, यदि कोई हो						
3.	कुल छूट (1+2)						

24. (22-23)	अपेक्षित मांग की अतिशेष रकम को जीएसटी विधि के अधीन वसूली की जाएगी <<ऑटो-पॉपुलेटेड>>					
अधिनियम	कर	ब्याज	जुर्माना	शुल्क	अन्य	कुल
1	2	3	4	5	6	7
केन्द्रीय अधिनियम						
राज्य/संघ राज्यक्षेत्र अधिनियम						
केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम						

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

अधिकार क्षेत्र

सेवा में,

____________________(जीएसटीआईएन/आईडी)

.... नाम

____________________(पता)

निम्नलिखित प्रति -

टिप्पण -

1. कटौती में विद्यमान अधिनियम के अधीन किए गए भुगतान सम्मिलित हैं। यदि कर की मांग में वृद्धि की जानी है तो **प्ररूप डीआरसी-07 क** के अधीन एक नई मांग की जा सकती है ।

2. आदेश की प्रति, जिसकी मांगउपांतरित/परिशोधित/पुनरीक्षित/अद्यतन/अपडेट की गई है, अपलोड की जा सकती है। भुगतान दस्तावेज को भी संलग्न किया जा सकता है।

3. जीएसटी विधि के अधीन वसूल की गई रकम, जिसके अन्तर्गत दावा किए गए धन वापसी के दावे को समायोजन सहित देयता के रूप में दायित्व रजिस्टर में स्वतः अद्यतन किया जाएगा । इस तरह की वसूली के लिए इस प्ररूप में फाइल नहीं किया जाएगा ।"

[सं.सं .वा०कर/जी०एस०टी०/04/2018]

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

प्रशांत कुमार,

सचिव-सह-आयुक्त

टिप्पण: मूल नियमावली, झारखण्ड के राजपत्र, असाधारण, में एस. ओ. सं. 28, तारीख 20 जून, 2017 द्वार प्रकाशित किया गया था और अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. 54/2018- राज्य कर, तारीख 2 नवम्बर, 2018 द्वारा एस. ओ सं. 79, तारीख 2 नवम्बर, 2018 द्वारा प्रकाशित किए गए थे ।

Printed & Published by the Superintendent of Jharkhand Government Press, Doranda, Ranchi.
Jharkhand Gazette (Extraordinary) 1115 -- 50.